(c) if so, the nature of the contemplated changes?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED): (a) Some representations have been received about giving representation to minority shareholders on the Board of Directors of companies;

(a) and (c). Sections 397 and 398 read with section 402 of the Companies Act give certain powers to the Court to protect minority interests and section 408 confers similar power on the Government subject to the fulfilment of the stipulated conditions in each case. Section 265 of the Companies Act provides for proportional representation of the shareholders on the Board of Directors of a public company or of a private comany which is a subsidiary of a public company on an optional basis. The question whether such proportional representation on the Board of Directors could be made mandatory by suitable amendments to the law is under consideration.

**Public Sector Industries in Orissa**

*1093. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken about the Public Sector industries to be set up in Orissa during the Fourth Plan period;

(b) if so, the names of such projects and their estimated costs; and

(c) the share of Orissa in this respect in the Fourth Plan expenditure on Public Sector projects?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise

**छोटी कार परियोजना**

*1094. **श्री बलराज मधोक :**
**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
**श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
**कुमारी कमला कुमारी :**
**श्री हेम बरुआ :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री छोटी कार परियोजना के सम्बन्ध में 12 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) योजना आयोग को यह प्रस्ताव कब भेजा गया था और क्या योजना आयोग ने अपने विचार उनके मंत्रालय को भेज दिये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग को भेजे गये पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). योजना आयोग को मार्च, 1968 में इस विषय पर प्रथम उल्लेख इस आशय से किया गया था जिससे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में छोटी कार परियोजना के लिए उपलब्ध साधनों का पता लगा लिया जाये। इसके बाद योजना आयोग तथा मेरे मन्त्रालय के बीच पत्र-व्यवहार तथा विचारों का आदान-प्रदान होता रहा है। मामला अभी भी विचाराधीन है और योजना आयोग तथा अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों से विचार विमर्श किया जा रहा है। पत्र-व्यवहार की प्रतियाँ सभा-पटल पर रखना आवश्यक नहीं है।

**Inspection of Books of Accounts by Company Law Board**

*1095. SHRI KAMESHWAR SINGH: Will the Minister of INDUSTRIAL